शक,

डा0 आर0एस0 टोलिया,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी
   उत्तरांचल.
2. समस्त परियोजना निदेशक
   जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
   उत्तरांचल.

वन एवं ग्राम्य विकासः देहरादूनः मई 30, 2001

विषयः स्वयं सहायता समूहों के गठन के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया दिशा–निर्देश

महोदय,

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत, स्वयं सहायता समूहों के गठन में उनके सामर्थ्य को विकसित करने एवं उनके विकास को प्रभावी ढंग से करने हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं सहायता समूहों के गठन में सहायता हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं को स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित करने का प्राविधान है. इसी क्रम में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जा रहे हैं :

1. पात्रता : स्वयं सहायता समूह के गठन आदि की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन हेतु निम्न अर्हतायें आवश्यक होंगीः

1.1 स्वयं सेवी संस्था वैधानिक रूप से पंजीकृत हो.

1.2 संस्था द्वारा अपने वैधानिक उद्देश्यों में ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को

प्राथमिकता दी गई हो.

1.3 संस्था को कम से कम तीन वर्षों का ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्य करने का अनुभव हो.

1.4 संस्था के पिछले तीन वर्षों के वित्तीय अभिलेखों का चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा आडिट की बेलेंस सीटें बनायी गयी हो तथा किसी प्रकार की अनियमितता न हो.

1.5 संस्था में कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक स्टाफ उपलब्ध हो अथवा आवश्यकतानुसार नियुक्त करने की क्षमता हो.

1.6 संस्था द्वारा सहभागिता/मांग आधारित कम से कम एक परियोजना सफलता पूर्वक पूरी की गयी हो.

2. चयन प्रक्रिया–

2.1 उपर्युक्त न्यूनतम अर्हता वाली स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन हेतु विज्ञापन संबंधित जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा जारी किया जायेगा तथा स्वयं सेवी संस्थाओं को आवेदन पत्र देने हेतु कम से कम 15 दिन का समय दिया जायेगा.

2.2 स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन हेतु जिला स्तर पर एक कमेटी गठित की जायेगी जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे:

1. अधिशासी निदेशक/परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0
2. जनपद स्तर पर नामित नोडल स्वयं सेवी संस्था का प्रतिनिधि
3. संबंधित जनपद के अग्रणी जिला प्रबंधक, लीड बैंक अधिकारी/जिला विकास समन्वयक नाबार्ड.

2.3 समिति एक ही दिनांक में सभी आवेदन पत्र देने वाले स्वयं सेवी संस्थाओं को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करेगीं, तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि अपने साथ पूर्ण कालिक सामुदायिक सुविधादाता (फैसिलिटेटर) को भी साथ लायेंगे जिन्हें वह स्वयं सहायता समूह के गठन कार्य में लगाना चाहते हैं. खुले साक्षात्कार में प्रत्येक संस्था के प्रतिनिधि एवं सामुदायिक सुविधादाता को मंच से अपनी बात रखने का 10–10 मिनट का समय दिया जायेगा तथा समिति के सदस्य

इस दस मिनट के प्रस्तुतिकरण के आधार पर अपना मूल्यांकन करेंगे. यह मूल्यांकन 50 अंकों का होगा, इसके अतिरिक्त संस्था की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन 50 अंकों का होगा. साक्षात्कार व प्रस्तुतिकरण के आधार पर ही समूह के गठन को कार्य स्वयं सेवी संस्थाओं को दिया जायेगा (चयन हेतु मूल्यांकन पद्धति संलग्नः 1 पर है)

2.4 चयनित स्वयं सेवी संस्था तथा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के बीच एक अनुबंध किया जायेगा, जो संलग्नकः 2 पर है. चयन समिति इस खुले साक्षात्कार के आधार पर यह भी तय करेगी कि संस्था कितने विकासखंडों में सेवा दे सकती है. जनपद में कितनी संस्थाओं के कितने विकासखंडों में कार्य दिया जायेगा इसे चयन समिति के मूल्यांकन के निष्कर्ष पर छोड़ा जाता है. एक स्वयं सेवी संस्था के कार्यकर्ता को न्यूनतम 10 स्वयं सहायता समूहों के गठन तक अनुश्रवण का कार्य करना अनिवार्य होगा.

3. चयनित स्वयं सेवी संस्था द्वारा वांछित इनपुट :

3.1 चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं को कोई औपचारिक शिक्षा की आर्हता यद्यपि निर्धारित नहीं की जा रही है फिर भी चयन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सुविधादाता खातों के खोलने, खाता संचालन इत्यादि कार्यों को सदस्यों को भली प्रकार स्पष्ट कर सकें, समझा सकें एवं बैंकिंग व्यवस्था का व्यवहारिक अनुभव आवश्यक होगा.

3.2 स्वयं सेवी संस्था फैसिलिटेटर को रू0 2500 प्रति माह नियत मानदेय उपलब्ध करायेगी एवं उनके क्षेत्र भ्रमण हेतु रू0 500/– तक की प्रतिपूर्ति प्रतिमाह वास्तविक भ्रमण एवं रात्रि निवास के आधार पर प्रदान करेगी. स्वयं सेवी संस्था को फैसिलिटेटर के नियम मानदेय तथा क्षेत्रीय भ्रमण प्रतिपूर्ति का भुगतान क्रास चैक के माध्यम से उस के नाम पर करना होगा.

3.3 फैसिलिटेटर द्वारा स्वयं सहायता समूह के गठन, सफल संचालन, लेखों के रखरखाव में व्यवहारिक मार्ग दर्शन प्रदान किया जायेगा.

3.4 स्वयं सेवी संस्था द्वारा लगाये गये एक सुविधादाता द्वारा कम से कम

12 स्वयं सेवी सहायता समूहों का पर्यवेक्षण किया जायेगा.

3.5 सुविधादाता द्वारा प्रत्येक स्वयं सहायता समूह का माह में कम से कम दो बार भ्रमण/सम्पर्क करना आवश्यक होगा. अधिक सम्पर्क स्थापित करना प्रारम्भ में अत्यावश्यक है. अतः यदि प्रारम्भ में अधिक सम्पर्क होता है तो वर्ष के बाद के माहों में इस सम्पर्क को कम किया जा सकता है. वर्ष में न्यूनतम 24 सम्पर्क इस व्यवस्था के अन्दर अनिवार्य होंगे.

3.6 स्वयं सहायता समूह को स्टेशनरी आदि हेतु या तो डी0आर0डी0ए0 व्यवस्था करायेगा अथवा स्वयं सेवी संस्था को रु0 300/– उपलब्ध करायेगा.

4. चयनित स्वयं सेवी संस्था का दायित्व :

4.1 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अनुरूप सक्रिय समूहों का गठन.

4.2 गठित समूहों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण.

4.3 समूह के प्रशिक्षण में सहभागिता.

4.4 समूहों में बचत एवं ऋण कार्यक्रम लागू कराना तथा बैंकों एवं समूहों के बीच में सम्बन्ध स्थापित करना.

4.5 आवश्यक तकनीकी इनपुट उपलब्ध कराना.

4.6 समूह/समूहों के सदस्य द्वारा उत्पादित माल के विपणन की तलाश तथा विपणन कार्य में सहयोग.

4.7 स्वयं सहायता समूह की ग्रेडिंग कराना.

4.8 समूह के प्रत्येक स्वरोजगारी को तीन वर्ष के अन्दर आर्थिक रूप से इतना सक्षम बना देना कि बैंक ऋण आदायगी के अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से प्रतिमाह रु0 2000/– की आर्थिक आय प्राप्त करने योग्य बन सके.

4.9 संस्था फैसिलिटेटर से लिखित मासिक प्रगति रिपोर्ट लेगी तथा इसका मूल्यांकन करेगी कि फैसिलिटेटर के द्वारा समूह गठन के लिए सघन प्रयास किये जा रहे हैं तथा फैसिलिटेटर की दक्षता दिये गये कार्य के लिए समुचित है, वह फैसिलिटेटर से प्रगति प्रतिवेदन से

प्राप्त कर उसे डी0आर0डी0ए0 को उपलब्ध करायेगी.

5. स्वयं सेवी संस्था के अपेक्षित आउटपुट :

5.1 स्वयं सेवी संस्था खुले साक्षात्कार के अवसर पर विनिश्चित संख्या में सुविधादाताओं की सेवायें उपलब्ध करायेगी.

5.2 सुविधादाता का हस्ताक्षरयुक्त बायोडेटा एवं नियुक्ति पत्र डी0आर0डी0ए0 को उपलब्ध करायेगी.

5.3 सुविधादाता द्वारा किये गये कार्यों का सघन अनुश्रवण एवं उनके कार्यों की समीक्षा कर डी0आर0डी0ए0 को लिखित रूप में सूचित करेगी.

5.4 सुविधादाता द्वारा किये गये कार्यों तथा स्वयं सहायता समूह के गठन एवं संचालन के सम्बन्ध में मासिक प्रगति आख्या सम्बन्धित खंड विकास अधिकारी को समय से प्रेषित करेगी.

5.5 खंड विकास अधिकारी या अन्य उच्च अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर स्वयं सेवी संस्था स्वयं सहायता समूहों के गठन, प्रगति प्रतिवेदन इत्यादि से संबंधित अभिलेख उपलब्ध करायेगी.

5.6 उपलब्ध कराये गये धन के वास्तविक कार्य एवं उपयोग का सत्यापन चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित कराकर डी0आर0डी0ए0 को उपलब्ध करायेगी.

6. प्रशिक्षण :

6.1 सम्बन्धित जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का यह दायित्व होगा कि वह संबंधित स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा लगाये गये सुविधादाता को नावार्ड के सहयोग से तथा अन्य स्रोतों से पर्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित कराकर प्रशिक्षण कराये.

7. भुगतान प्रक्रिया :

स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन के उपरांत नियमानुसार भुगतान की

प्रक्रिया होगी :

7.1 संस्था को कार्य के लिए चयनित किये जाने के एक सप्ताह के अन्दर 20 प्रतिशत का भुगतान प्रथम किस्त के रूप में किया जायेगा.

7.2 तीन माह के पश्चात सन्तोषजनक कार्य पाये जाने द्वितीय किस्त के रूप में 10 प्रतिशत धनराशि का पुनः भुगतान करा लिया जाये.

7.3 कार्य प्रारम्भ होने के एक वर्ष के अन्त तक 40 प्रतिशत का भुगतान किया जा सकेगा.

7.4 दूसरे वर्ष के अन्त में कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर 20 प्रतिशत का भुगतान और किया जा सकेगा. (इस प्रकार कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर 70 प्रतिशत का भुगतान दूसरे वर्ष के अन्त में किया जायेगा).

7.5 तीसरे वर्ष के अन्त में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर 20 प्रतिशत का भुगतान किया जा सकेगा. तीसरे वर्ष के अन्त में कार्य पाये जाने पर कुल 90 प्रतिशत का भुगतान हो जायेगा.

7.6 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्प्रेक्षा, सन्तोषजनक कार्य तथा सम्पादित कार्य के मूल्यांकन पर विलम्बतम 3 माह के अन्दर शेष 10 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जायेगा.

कृपया उपरोक्त निदेशों के क्रम में स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन करना सुनिश्चित करें, चयन हेतु समिति में जनपद के लिये मुख्यालय द्वारा चयनित स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग (शासनादेश का संकलन) अवश्य कर लिया जाय. ऐंकर स्वयं सेवी संस्था से तात्पर्य ऐसी स्वयं सेवी संस्था से है जो राज्य स्तरीय समन्वय समिति में उस जनपद का प्रतिनिधित्व करती है.

डा0 आर0एस0 टोलिया
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त.

संलग्नक : 3

प्रतिलिपि :

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल.
2. समस्त परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उत्तरांचल.

3. समस्त एल0डी0एम0 लीड बैंक, उत्तरांचल.
4. समस्त जनपद स्तरीय स्वंय सेवी संस्थाएं, उत्तरांचल.
5. समस्त डी0डी0एम नाबार्ड, उत्तरांचल.
6. कपार्ट सहयोग व समन्वय समिति के सदस्यों के सूचनार्थ एवं सहायतार्थ.

डा0 आर0एस0 टोलिया
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु गैर सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) के चयन हेतु गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ0) पद्धति में तथ्यों का मूल्यांकन

विवरण :		अंक
1. संस्था द्वारा तीन वर्षो के लिए किये गये कार्यो का अनुभव		
अ. ग्राम्य विकास की योजनाओं में किये गये कार्यो का अनुभव		15
तीन वर्ष	11	
पांच वर्ष	13	
सात वर्ष	15	
ब. अन्य विकास संबंधी योजनाओं में किये गये कार्यो का अनुभव		05
तीन वर्ष	3	
पांच वर्ष	4	
सात वर्ष	5	
स. कार्य का क्षेत्र का स्तर (प्रमाण पत्र आवश्यक)		10
जनपद स्तर	6	
प्रदेश स्तर	8	
अखिल भारतीय स्तर	10	
2. संस्था द्वारा अपनायी जा रही पद्धति व टूल्स का विश्लेषण		15
अ. कार्य सेक्टर		
प्रचार–प्रसार	1	
जागरूकता विकास	1 में से कोई पांच	
उत्प्रेरक	1	
शिक्षा	1	15
स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	1	
विपणन		
प्रशिक्षण	पांच से कम होने पर प्रत्येक कम मद पर 3 अंकों की कमी	

ब.	सेवा प्रकार		5
	केन्द्रित रूप से सेवा	2	
	द्वार पर जाकर सेवा	5	
3.	संस्था द्वारा लेखों का रख–रखाव		20
अ.	उचित बुक किपिंग	10	
ब.	चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा आडिटेड बैलेन्स शीट	10	
4.	संस्था में कार्यरत स्टाफ का मूल्यांकन		12
अ.	स्टाफ की संख्या तीन होने पर (न्यूनतम एक सामान्य दैनिक कार्यों हेतु, एक लेखा संबंधी कार्य हेतु तथा एक क्षेत्रीय कार्यालय हेतु)	5	
	तीन से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त	1	
	प्रत्येक अतिरिक्त एक, क्षेत्रीय कार्य हेतु		अधिकतम 7

अंक

	स्टाफ के लिए		
ब.	क्षेत्रीय कार्य हेतु स्टाफ द्वारा किये गये कार्य के अनुभव की अवधि		8
	एक वर्ष	4	
	एक वर्ष से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए	1	अधिकतम 4

अंक

5.	संस्था की जन समुदाय में सामान्य ख्याति	10